

## **अध्याय - II**

### **2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा**

**बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड  
की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा**

## अध्याय-II

### सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

#### कार्यकारी सारांश

##### परिचय

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना नवम्बर 1980 में एक पूर्ण स्वामित्व सरकारी कम्पनी के रूप में हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देना था।

कम्पनी, वर्तमान में, पर्यटन संरचनाओं के निर्माण, होटल/खान-पान सेवाएँ, परिवहन सेवाएँ, राजगीर में रज्जुमार्ग का संचालन, होटलें, मार्गीय सुविधाएँ, कैफेटेरिया आदि को पढ़े पर देना, मोटर-नौकायन का परिचालन एवं गोलघर, पटना में प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन में संलग्न है।

31 मार्च 2014 तक कम्पनी के पास राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित 21 होटलें (10 स्व-प्रबन्धित) थीं। कम्पनी के पास अपने होटलों से सम्बद्ध 13 रेस्तराँ (चार स्व-प्रबन्धित) भी थे।

31 मार्च 2013 को कम्पनी का प्राधिकृत और प्रदत्त पूँजी ₹ पाँच करोड़ था जो राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में था और ₹ 12.10 करोड़ की संचय एवं आधिक्य था। कम्पनी का लाभ 2009–10 से 2012–13 की अवधि में ₹ 1.07 करोड़ और ₹ 2.08 करोड़ के परास में था।

##### राज्य पर्यटन नीति

राज्य पर्यटन नीति (एस0टी0पी0) 2009 का कार्यान्वयन मुख्य रूप से “पर्यटन प्रोत्साहन एवं विकास परिषद्” की स्थापना पर निर्भर था। परिषद् का कार्य, पर्यटन उद्योग के सभी हितधारकों के मध्य समक्रमण एवं समन्वय स्थापित करने, हेतु था। तथापि, राज्य सरकार ने कथित नीति के अस्तित्व के पाँच वर्षों के उपरांत भी, नीति में यथा परिकल्पित, कथित परिषद् की स्थापना में विफल रहा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार, पर्यटकों के बीच सुरक्षा की भावना का आभास कराने हेतु, विशेष पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना करने में भी विफल रहा। अग्रेतर, कम्पनी, कोई दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना/रोडमैप, जिसमें आगामी वर्षों में प्राप्य लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, के निर्माण में विफल रहा। इस प्रकार, राज्य सरकार और कम्पनी की निष्क्रियता के फलस्वरूप राज्य पर्यटन नीति के बावजूद औपचारिकता मात्र रह गई थी।

## वित् एवं लेखा स्कंध

ससमय बैंक समाशोधन विवरणी तैयार करने के द्वारा बैंक बकायों एवं रोकड़ बकायों पर समुचित नियंत्रण नहीं होने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 1.30 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी के पास अपना कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। कम्पनी का आन्तरिक लेखापरीक्षा सन्दी लेखाकारों के फर्म द्वारा की जाती थी, जो मात्र लेखाओं के संकलन तक ही सीमित था।

## होटलों का कार्य-निष्पादन

कम्पनी द्वारा स्व-प्रबन्धित होटलों का लक्षित अधिभोग 60 प्रतिशत पर निर्धारित (नवम्बर 1992) किया गया था। वर्ष 2011–12 और 2012–13 में क्रमशः एक स्व-प्रबन्धित होटल और दो स्व-प्रबन्धित होटलों ने ही केवल 60 प्रतिशत के लक्षित अधिभोग को प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कम्पनी को अपने होटलों के कमरों के टैरिफ के मद में उधार देने की अनुमति नहीं थी, तथापि 31 मार्च 2013 तक इसके 10 होटलों के सम्बन्ध में अनधिकृत रूप से प्रदान की गई उधार के मद में ₹ 56.47 लाख की राशि वसूलनीय थी। कम्पनी के पास अपने कमरों के किराया के निर्धारण हेतु कोई नीति नहीं था।

## परिवहन सेवाएँ

कम्पनी की परिवहन सेवाओं का कार्य-निष्पादन 2009–14 की अवधि में संतोषजनक नहीं था। कम्पनी ने वर्ष 2009–10, 2011–12, एवं 2013–14 की अवधि में हानि वहन किया तथा वर्ष 2010–11 और 2012–13 में क्रमशः मात्र ₹ 28 लाख और ₹ 32 लाख का लाभ अर्जित किया। परिवहन इकाई की कुल बकाएदार, वर्ष 2010–11 से 2012–13 के अवधि में ₹ 3.42 करोड़ से बढ़कर ₹ 4.81 करोड़ हो गए थे। क्रय की गई नई बसों का परिचालन परिकल्पित उद्देश्यों हेतु नहीं किया गया था। अनुबन्ध के आधार पर भुगतान जारी नहीं करने तथा बिना कोई लागत-लाभ विश्लेषण किए कार-भान क्रय करने के फलस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ का निधि अवरुद्ध पड़ा रहा।

## ट्रैवेल-ट्रेड एवं रज्जुमार्ग

प्राक्कलन को तैयार किए बिना निविदा के अन्तिमीकरण करने के फलस्वरूप परिचालन एवं रख-रखाव भार के मद में कम्पनी को ₹ 12 लाख का अधिव्यय करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की निष्क्रियता के फलस्वरूप सफल बोलीदाता को प्रसारण अधिकार नहीं दिया जा सका जिसके कारण ₹ 33.96 लाख के राजस्व का हानि हुई।

## संरचनात्मक विकास परियोजनाएँ

2009–14 की अवधि में प्राप्त किए गए 83 परियोजनाएँ के मद में प्राप्त निधियों से मात्र 23 परियोजनाएँ ही पूर्ण की गई थीं जिनमें से 12 परियोजनाएँ एक से 32 महीने के परास में विलम्ब से पूर्ण किए गए थे। संरचनात्मक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारण गैर-योजनाबद्ध कार्यान्वयन वस्तुतः वास्तविक स्थल-सर्वेक्षण किए बिना प्राक्कलन का निर्माण, निम्न अनुश्रवण और कम्पनी के अभियन्त्रण शाखा में अभियन्ताओं का अभाव था।

## आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

ईकाइयों की प्रगति की समीक्षा हेतु मासिक बैठकें नियमित अन्तराल पर आहूत नहीं की जा रही थीं जो कि उच्च प्रबन्धन के स्तर पर अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के अभाव को इंगित करता था। कम्पनी की सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन कराने हेतु कोई तन्त्र मौजूद नहीं था।

### निष्कर्ष

कम्पनी, दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना/रोड मैप जिसमें आगामी वर्षों में प्राप्य लक्ष्यों अथवा मील के पत्थरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, को तैयार करने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप राज्य पर्यटन नीति को पाँच वर्षों तक लागू करने के बावजूद राज्य की पर्यटकीय संभाव्यता अप्रयुक्त रह गई, कम्पनी का वित्त एवं लेखा स्कंध का कार्य-निष्पादन सुव्यवस्थित नहीं था, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मुख्य सम्पत्तियों का रख-रखाव नहीं होना, मानव-शक्ति का अभाव एवं उत्तम सेवाओं को प्रदान करने में गैर-पैशेवर तरीकों के फलस्वरूप कम्पनी की होटलों से पर्यटकों का अलगाव हुआ था। कम्पनी ने अपनी नई बेड़ों का उपयोग, यथा परिकल्पित उद्देश्यों हेतु, नहीं किया था जिसके फलस्वरूप निधि अवरुद्ध पड़ा रहा।

निकृष्ट नियोजन, संरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यन्वयन में पर्याप्त अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अभाव के फलस्वरूप अत्यधिक विलम्ब तथा पर्यटकीय सुविधाओं की अनुपलब्धता में फलित हुआ।

### परिचय

**2.1** बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना नवम्बर 1980 में एक पूर्ण स्वायत्त सरकारी कम्पनी के रूप में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को आवासीय सुविधाएँ प्रदान करना, पर्यटकों को परिवहन एवं खान-पान सुविधा प्रदान करना और पर्यटकों के रुचि के अनुरूप स्थलों को विकसित करते हुए, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना था। कम्पनी वर्तमान में पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, राजगीर में रज्जुमार्ग का संचालन, सम्पत्तियों वस्तुतः होटलों, मार्गीय सुविधाएँ, अल्पाहार-गृह आदि को पट्टे पर देना, मोटर-नौकायन का परिचालन तथा गोलघर, पटना में प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन आदि में सम्मिलित है।

कम्पनी की प्रशासनिक विभाग होने के कारण, पर्यटन विभाग (डी0ओ0टी0), बिहार सरकार (जी0ओ0बी0), बिहार राज्य में विभिन्न पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाएँ स्वीकृत करती हैं और उनके निष्पादन हेतु कम्पनी को सुपुर्द करती है। डी0टी0ओ0, कम्पनी को अनुदान के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान करती है और उसके एवज में उपयोगिता प्रमाण-पत्र माँगती है।

31 मार्च 2014 तक राज्य-भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित, कम्पनी के पास 21 होटलें (10 स्व-प्रबन्धित, सात पट्टे पर, तीन नवीकरण के अन्तर्गत तथा एक वन एवं पर्यावरण विभाग, (जी0ओ0बी0) के पास थी। कम्पनी के पास अपने होटलों से सम्बन्धित 13 रेस्तराँ (चार स्व-प्रबन्धित, आठ पट्टे पर और एक नीवकरण के अन्तर्गत) भी था। इसके अतिरिक्त कम्पनी की अन्य सम्पत्तियों में मार्गीय सुविधाएँ, राजगीर में रज्जुमार्ग, परिवहन सुविधाएँ, 266 अन्य सम्पत्तियाँ जिनमें मुख्य रूप से समविष्ट कैफेटेरिया, छोटी दुकानें,

मोटर नौकायान, गोलघर, पटना में प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन, इत्यादि सम्मिलित था। कम्पनी की गतिविधियों के पाँच मुख्य खण्ड वस्तुतः आवासीय सुविधा, खान-पान सेवा, परिवहन, रज्जुमार्ग तथा अन्य थे।

### संगठनात्मक ढाँचा

**2.2** कम्पनी का प्रबन्धन, निदेशक मण्डल (बोर्ड), में निहित था। 31 मार्च 2014 तक बोर्ड में कुल छः निदेशक थे जिसमें दो संव्यावसायिक और एक बिहार सरकार द्वारा जनता में से नामित थे। प्रधान सचिव, डी0ओ0टी0 कम्पनी के बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं जिन्हें कम्पनी के दैनिक कार्यों में महाप्रबन्धक, उप-महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उप-महाप्रबन्धक (प्रशासन), मुख्य अभियन्ता तथा एक कार्यपालक अभियन्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

### पूँजी संरचना

**2.3** 31 मार्च 2013<sup>1</sup> तक कम्पनी की अधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी पाँच करोड़ थी जो कि राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में था (**परिशिष्ट- 2.1**)। 2009–10 से 2012–13 के अवधि के दौरान कम्पनी ने लाभ अर्जित किया था जिसका परास ₹ 1.07 करोड़ से ₹ 2.08 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास ₹ 12.10 करोड़ का संचय एवं आधिकार्य था (₹ 0.58 करोड़ का अर्थसाहाय्य तथा ₹ 11.52 करोड़ का सामान्य संचित निधि)।

कम्पनी की गतिविधियों पर एक पूर्णरूपेण समीक्षा की गई थी, जो पिछली बार भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार के वर्ष 2008–09 के प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गई थी। इसके पूर्व कम्पनी के होटलों के कमरों के अधिभोग एवं खान-पान सेवा पर एक खण्डात्मक समीक्षा तथा कम्पनी की गतिविधियों पर एक पूर्णरूपेण समीक्षा की गई थी जो कि क्रमशः वर्ष 1998–99 तथा 2003–04 में प्रस्तुत की गई थी। उपर्युक्त समीक्षाओं पर लोक उपक्रम समिति द्वारा विचार-विमर्श अभी तक (नवम्बर 2014) होना शेष है।

### लेखापरीक्षा उद्देश्य

**2.4** कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि :

- राज्य पर्यटन नीति (एस0टी0पी0) को लागू करने हेतु कम्पनी ने व्यूह-रचनात्मक योजना/कार्य योजना बनाई थी या बिहार सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किया था;
- कम्पनी की होटलों एवं रेस्तराओं का संचालन मितव्ययिता एवं दक्षतापूर्वक किया जा रहा था;
- कम्पनी की परिवहन इकाई एवं रज्जुमार्ग सेवा का लाभ-पूर्वक प्रबन्धन हो रहा था;
- आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु भारत सरकार (जी0ओ0आई0)/जी0ओ0बी0 से प्राप्त निधि का उपयोग मितव्ययितापूर्ण, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से किया गया था; एवं

<sup>1</sup> वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 की लेखाएँ औपबन्धिक हैं। वर्ष 2013–14 हेतु लेखाएँ कम्पनी द्वारा तैयार नहीं की गई थीं।

- कम्पनी का आन्तरिक नियन्त्रण /आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी था।

### लेखापरीक्षा मापदण्ड

**2.5** लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन हेतु निम्नांकित लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाये गये थे :

- राज्य पर्यटन नीति (एस०टी०पी०), वस्तुतः बिहार पर्यटन नीति-2009;
- प्रायोजित योजनाओं हेतु पर्यटन विभाग (डी०ओ०टी०), जी०ओ०आई० / जी०ओ०बी० के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिकाएँ तथा निर्देशं;
- पर्यटन के विकास हेतु सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ एवं समय-समय पर निर्गत प्रासंगिक नियमें एवं विनियमनें;
- कम्पनी और सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एम०ओ०य०;
- अपनी इकाईयों / होटलों हेतु कम्पनी द्वारा निर्धारित कमरों से सम्बन्धित अधिभोग;
- कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं अन्य प्रयोज्य अधिनियमों की प्रावधानों एवं मेमोरैण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन;
- दरों के निर्धारण का आधार; तथा
- कम्पनी की विपणन नीति।

### लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

**2.6** कम्पनी की यह निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 की अवधि के दौरान सम्पन्न की गई थी और इसमें 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए पाँच वर्षों हेतु कम्पनी के पूर्णरूपेण कार्य-निष्पादन को शामिल किया गया था जिसमें बिहार पर्यटन नीति-2009 का कार्यान्वयन, इकाईयों का परिचालन कार्य-निष्पादन, दर निर्धारण, खान-पान सेवाएँ, परिवहन सेवाएँ, सम्पत्तियों को पट्टे पर देना और आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु गतिविधियाँ, इत्यादि सम्मिलित था।

इस कार्य हेतु कम्पनी की मुख्यालय तथा  $10^2$  स्व-प्रबन्धित होटलों में से चार<sup>2</sup> होटलों एवं राजगीर में रज्जुमार्ग सेवाएँ में संधारित अभिलेखों की जाँच की गई थी। स्व-प्रबन्धित होटलों के प्रतिदर्श का चयन, निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत अवधि के दौरान, राजस्व उपार्जन के आधार पर, क्रमरहित प्रतिदर्श पद्धति अपना कर की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को सरकार और प्रबन्धन को अवगत कराने हेतु, 10 अप्रैल 2014 को प्रवेश सम्मेलन आहूत किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा कार्यपद्धति का जो मिश्रण अपनाया गया था, उसमें मुख्यालय और इकाई स्तर पर कम्पनी के अभिलेखों की जाँच, बोर्ड बैठकों की कार्यसूची और कार्यवाही

<sup>2</sup> (i) होटल तथागत विहार, राजगीर; (ii) होटल सिदार्थ विहार, बोधगया; (iii) होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर और (iv) होटल कौटिल्य विहार, पटना।

<sup>3</sup> (i) होटल कौटिल्य विहार, पटना; (ii) होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर; (iii) होटल सिद्धार्थ विहार, बोधगया; (iv) होटल बुद्ध विहार, बोधगया; (v) होटल सुजाता विहार, बोधगया; (vi) होटल तथागत विहार, राजगीर; (vii) होटल अजातशत्रु विहार, राजगीर; (viii) होटल कैमूर विहार, मोहनियाँ; (ix) होटल सिंगहेश्वर विहार, मधेपुरा और (x) होटल रेणू विहार, पूर्णियाँ।

विवरणी की जाँच, राज्य की पर्यटन नीति के साथ-साथ केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शिकाएँ और/अथवा निर्देशों, सूचना हेतु जारी की गई लेखापरीक्षा पृच्छा तथा प्रबन्धन के साथ विचार-विमर्श शामिल था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष को सरकार और प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2014) और उनपर परिचर्चा 4 सितम्बर 2014 को समाप्त सम्मेलन में सम्पन्न हुई जिसमें कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तिमीकण में प्रबन्धन/सरकार द्वारा दिए गए मंतव्यों को ध्यान में रखा गया था।

### लेखापरीक्षा परिणामों

2.7 लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

### राज्य पर्यटन नीति एवं इसका कार्यान्वयन

2.8 बिहार सरकार के राज्य पर्यटन नीति अर्थात् बिहार पर्यटन नीति-2009 की अधिसूचना जुलाई 2009 में जारी की गई। कथित नीति का, अन्य उद्देश्यों के अलावा, मुख्य उद्देश्य पर्यटन को राज्य की प्राथमिकता में स्थापित करना, पर्यटन विकास हेतु मुख्य प्रेरक के रूप में घरेलू पर्यटन पर मुख्य एकाग्रता, बिहार का सांस्कृतिक, धार्मिक और “कल्याण पर्यटन” के रूप में प्रसार करना तथा उन्नत सामाजिक एवं आर्थिक हितों हेतु उद्योग की दक्षता को सुधारना था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

- राज्य पर्यटन का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा “पर्यटन” प्रोत्साहन एवं विकास परिषद् के स्थापना पर निर्भर था। परिषद् का कार्य पर्यटन उद्योग के सभी हितधारकों के मध्य समक्रमण एवं समन्वय स्थापित करने हेतु था। तथापि, राज्य सरकार ने कथित नीति के अस्तित्व के पाँच वर्षों के उपरांत भी, कथित परिषद् की स्थापना में विफल रहा।
- राज्य सरकार, पर्यटकों के बीच सुरक्षा भावना का आभास करने हेतु, विशेष पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना करने में भी विफल रहा।
- नीति में परिभाषित भूमिका की निर्वहन के लिए कम्पनी को उत्तरदायी बनाने हेतु राज्य सरकार को कम्पनी के साथ समझौता-पत्रकों (एम०ओ०य००) पर हस्ताक्षर करना चाहिए था। तथापि, इस सन्दर्भ में, राज्य सरकार कम्पनी के साथ कोई एम०ओ०य०० पर हस्ताक्षर करने में विफल रहा।
- कम्पनी, कोई दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना/रोडमैप, जिसमें आगामी वर्षों में प्राप्य लक्ष्यों अथवा मील के पत्थरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, के निर्माण में विफल रहा।

राज्य सरकार के साथ-साथ कम्पनी ने समाप्त सम्मेलन में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते (सितम्बर 2014) हुए कहा कि नवीन राज्य पर्यटन नीति-2014 का निर्माण प्रक्रियाधीन था।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि नीति में परिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डी०ओ०टी० के सहयोग से एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना/रोड मैप जिसमें लक्ष्यों एवं/अथवा मील के पत्थरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, तैयार करना चाहिए।

## वित्त एवं लेखा स्कन्ध

**2.9** कम्पनी का वित्त एवं लेखा स्कन्ध मुख्य रूप से लेखाओं को तैयार करने, उनके बजट, नियम पुस्तिका, परियोजना—वार बैंक लेखों बनाने और समाशोधन करने हेतु उपायों सशक्त करने, आन्तरिक लेखापरीक्षा करने, इत्यादि के लिए उत्तरदायी है।

### बैंक शेषों के समाशोधन नहीं करने के कारण हानि

**2.9.1** रोकड़ पंजी के अनुसार अपनी बैंक शेषों को बैंकों की शेषों से समाशोधन करने में कम्पनी विफल रहा। कम्पनी के खाता—बही शेषों की बैंक शेषों से तुलना में ₹1.30 करोड़ का कमी दर्शित हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट-2.2 में दर्शित है। पासबुक/बैंक विवरणियाँ कम्पनी के पास नहीं था तथा शेषों से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता भी बैंकों द्वारा सूचित किया गया। वांछित विवरणी के अभाव में, ये कमियाँ, कम्पनी के लेखों में मिथ्या सम्पत्ति के रूप में लेखांकित की जा रही थी। इस तरह, बैंक बकायों एवं रोकड़ बकायों का ससमय बैंक समाशोधन विवरणी तैयार करने के द्वारा समुचित नियंत्रण नहीं होने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹1.30 करोड़ की हानि हुई।

प्रबन्धन ने अपने जवाब (सितम्बर 2014) में तथ्य एवं आँकड़े की स्वीकारोक्ति की।

### परियोजना—वार बैंक लेखों को तैयार नहीं करना

**2.9.2** यद्यपि निधियों के विचलन पर नियंत्रण रखने, परियोजना—वार बैंक खातों का संधारण एवं प्रत्येक परियोजनाओं पर जमा एवं अर्जित ब्याज के अभिलेखों की संधारण हेतु, कम्पनी द्वारा निर्णय (जून 2008) लिया गया था, तथापि कम्पनी अपनी संरचनात्मक परियोजनाओं के सन्दर्भ में परियोजना—वार बैंक खातों का संधारण करने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2014) कि परियोजना—वार बैंक खातों के संधारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी चूंकि कम्पनी, उपलब्ध निधि को चिह्नित करने हेतु, परियोजना—वार सह—खाता का संधारण करती थी। जवाब मान्य नहीं है चूंकि यह कम्पनी के अपने ही निर्णय के विरोधाभास में है।

### बजट को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना

**2.9.3** निदेशक (बोर्ड) के समक्ष बजट समय से प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2014) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत बोर्ड के समक्ष, बजट प्रस्तुत करना, अनिवार्य नहीं है। जवाब सही प्रतीत नहीं होता है चूंकि बजट, नियोजन का अंग है और कम्पनी की आर्टिकल्स ३० एसोसियेशन की उप—वाक्य 66 (24) के अनुसार नियोजन बोर्ड की विशेष शक्तियों, के अन्तर्गत आता है।

### आर०ओ०सी० के पास वार्षिक रिटर्न दायर नहीं करना

**2.9.4** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अन्तर्गत कम्पनी को, कम्पनी के रजिस्ट्रार (आर०ओ०सी०) के यहाँ वार्षिक रिटर्न<sup>4</sup> दाखिला करना आवश्यक था। तथापि, कम्पनी ने वर्ष 2007–08 के उपरान्त आर०ओ०सी० के यहाँ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा जिसके कारण से कम्पनी का नाम, कम्पनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित चूककर्ता कम्पनियों की सूची में, सम्मिलित किया गया।

<sup>4</sup> तुलन—पत्र एवं लाभ हानि खाते

### लम्बित बकायों का वसूली नहीं होना

**2.9.5** 31 मार्च 2013 तक कम्पनी की कुल विविध देनदारी ₹ 6.08 करोड़ की थी जिसमें ₹ 73.63 लाख की राशि विगत चार वर्षों से अधिक समय से वसूलनीय थी। साथ ही, उपर्युक्त वर्गित देनदारियों की ₹ 6.08 करोड़ की कुल राशि में से 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान कम्पनी की परिवहन इकाई द्वारा किराए पर ली गई गाड़ियों के किराए के मद में ₹ 4.81 करोड़ की बहुतायत राशि सम्मिलित था। 2009–10 से 2012–13 की अवधि के दौरान ₹ 3.83 करोड़<sup>5</sup> तक का कार्यशील पूँजी अवरुद्ध रहा।

### लेखा नियम–पुस्तिका, संचालन नियम–पुस्तिका नहीं बनाना

**2.9.6** कम्पनी ने, अपनी निगमन के 34 वर्षों के व्यतीत होने के उपरान्त भी लेखा नियम–पुस्तिका, अधिप्राप्ति नियम–पुस्तिका, संचालन नियम–पुस्तिका इत्यादि, तैयार नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास अपनी कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों के फर्मों द्वारा की जाती है। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य–क्षेत्र लेखाओं के संकलन, बैंक लेखाओं का समाशोधन करना इत्यादि तक ही सीमित था और इसमें कम्पनी द्वारा किए गए व्यय/किए जाने वाले व्ययों के तकनीकी एवं वित्तीय औचित्य की जाँच सम्मिलित नहीं था।

**अनुशंसा :** हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को, अपनी वित्त एवं लेखा स्कंध की कार्यशैली में सुधार लाने की आवश्यकता है जैसे कि ससमय बैंक समाशोधन विवरणी तैयार करना, परियोजना–वार बैंक लेखा बनाना, ससमय लेखों का अन्तिमीकरण करना और कम्पनी के कार्य–निष्पादन का नियमित रूप से अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना।

### होटलों का कार्य–निष्पादन

**2.10** 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए अन्तिम पाँच वर्ष में राज्य में आए पर्यटकों का विवरण एवं साथ ही साथ पर्यटकों द्वारा कम्पनी की आवासीय सुविधाओं के उपयोग से संबंधित विवरण **परिशिष्ट–2.3** में दी गई है।

**परिशिष्ट–2.3** से यह देखा जा सकता है कि 2009–10 से 2013–14 की अवधि में पर्यटकों के आगमन में 37.38 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद पर्यटकों द्वारा कम्पनी की आवासीय सुविधाओं के उपभोग करने की प्रतिशतता 2010–11 में 0.24 प्रतिशत से प्रबल रूप से गिरकर 2013–14 में 0.13 प्रतिशत हो गई थी। कम्पनी के आवासीय सुविधाओं के उपभोग में गिरावट के कारणों पर विमर्श अलग से कंडिका 2.11.1 में की गई है।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते (सितम्बर 2014) हुए कहा कि सेवाओं एवं अन्य सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी।

<sup>5</sup> यह अवधि के दौरान लम्बित औसत बकायों को इंगित करता है।

## होटलों का संचालन

**2.10.1** 2009–14 की अवधि के दौरान संचालित की गई होटलों की संख्या तथा इन होटलों द्वारा प्राप्त अधिभोग की प्रतिशतता को इंगित करने वाली कार्य–निष्पादन विवरणी निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका सं0 – 2.1

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12 (औपबंधिक)	2012-13 (औपबंधिक)	2013-14 (औपबंधिक)
स्व–प्रबन्धित होटलों की संख्या (विवरण परिशिष्ट-2.4 में दिया गया है।)	13	14	14	14	10
रुम डेज की संख्या	66065	73265	73265	73265	55380
शर्यों की संख्या (कमरों में)	362	402	402	402	304
डॉरमिटरी शर्यों की संख्या	197	197	197	197	159
अधिभोग (प्रतिशत में)	35.87	35.30	35.61	34.21	31.80

(स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि रुम डेज की संख्या 2009–10 में 66065 से घटकर 2013–14 में 55380 हो गया जिसका मुख्य कारण निजी संचालकों को चार होटलों<sup>6</sup> पट्टे पर देना था।

हमने अग्रेतर प्रेक्षित किया कि :

कम्पनी की शीर्ष होटल द्वारा प्राप्त अधिभोग काफी कम था

- कम्पनी द्वारा स्व–प्रबन्धित होटलों का लक्षित अधिभोग<sup>7</sup> 60 प्रतिशत पर निर्धारित (नवम्बर 1992) किया गया था, जबकि वर्ष 2011–12 और 2012–13 में क्रमशः एक<sup>8</sup> स्व–प्रबन्धित होटल और दो<sup>9</sup> स्व–प्रबन्धित होटलों ने ही केवल 60 प्रतिशत के लक्षित अधिभोग को प्राप्त किया था। कम्पनी ने अपने स्व–प्रबन्धित होटलों के संबंध में अपने लक्षित अधिभोग (60 प्रतिशत) की समीक्षा कभी भी नहीं की थी;
- कम्पनी के शीर्ष होटल अर्थात् होटल कौटिल्य विहार, पटना का अधिभोग प्रतिशत 2009–14 के अवधि में बहुत कम था और यह क्रमशः वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में 19.15 प्रतिशत तथा 15.10 प्रतिशत कम था;
- यद्यपि कम्पनी की इकाईयों/होटलों को अपने कमरों के दर के संदर्भ में उधार देने की अनुमति नहीं थी, तथापि 31 मार्च 2013 तक कम्पनी द्वारा अपने 10 होटलों में अनधिकृत रूप से प्रदान की गई उधार के मद में ₹ 56.47 लाख की राशि वसूलनीय थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि अग्रेतर लंबित बकाए की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है। कम्पनी ने अग्रेतर कहा कि कम्पनी ने नीति बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था जिसमें उन सरकारी विभागों/संस्थाओं को

<sup>6</sup> होटल गौतम विहार, राजगीर; होटल विश्वामित्र विहार, बक्सर; होटल कोशी विहार, सहरसा एवं होटल शेरशाह विहार, सासाराम।

<sup>7</sup> कम्पनी की निदेशक मंडल ने 1992 में 60 प्रतिशत का अधिभोग लक्ष्य निर्धारित किया था।

<sup>8</sup> होटल कैमूर विहार, मोहनियाँ।

<sup>9</sup> होटल सिद्धार्थ विहार, बोधगया एवं होटल कैमूर विहार, मोहनियाँ।

सुविधाएँ प्रदान करना बंद किया जाएगा जो कि नियमित रूप से अपने लंबित बकायों का भुगतान करने में चूक कर रहे थे।

संयुक्त जाँच द्वारा नमूना जाँच के क्रम में कम्पनी के चार स्व-प्रबन्धित होटलों<sup>10</sup> में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थीं जिनके कारण कम्पनी के होटलों के निम्न अधिभोग में फलित हुआ।

- मूलभूत सुख-सुविधाओं का अभाव, वस्तुतः होटलों का अच्छा वातावरण, एक होटल को छोड़कर अन्य में लिफ्ट सुविधा का न होना, ए०सी० कमरों में विद्युत का पूर्णरूपेण बैक-अप नहीं होना (सभी चार होटलों में), परिवहन सुविधाओं का अभाव (एक होटल को छोड़कर), अतिथियों के शिकायती/प्रतिक्रिया पंजी का संधारण नहीं करना (एक होटल को छोड़कर), इत्यादि (*परिशिष्ट – 2.5*)।
- योग्य मानव-शक्ति का अभाव और/अथवा मानकों के अनुसार, पर्यवेक्षीय कर्मचारी को केन्द्र या राज्य सरकार के संस्था से होटल प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, होटल के स्वागत-कक्ष के कर्मचारी को अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना चाहिए था। यह प्रेक्षित किया गया कि बोधगया के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में नियमित<sup>11</sup> प्रबंधक नहीं था। पटना में स्थित होटल के प्रबंधक के पास आवश्यक योग्यता प्रमाण-पत्र नहीं था, प्रत्येक चार कमरों हेतु दो परिचारकों के मानक के विरुद्ध अपर्याप्त एवं/अथवा परिचारकों की/अथवा अव्यवहारिक नियोजन, होटल तथागत विहार – 45 कमरों पर तीन परिचारक, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया – 13 कमरों और 75 डॉरमेटरी शर्यों पर पाँच परिचारक, होटल कौटिल्य विहार – 35 कमरों और 24 डॉरमेटरी शर्यों पर आठ परिचारक और होटल लिच्छवी विहार – 16 कमरों पर दो परिचारक प्रेक्षित किया गया था एवं होटल तथागत विहार तथा बोधगया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया में नियमित हाउस कीपर का अभाव;
- पर्यटकों को गुणवत्ता सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा निम्न-स्तरीय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण : मानकों के अनुसार, होटलों के संचालन सुनिश्चित करने हेतु, कम्पनी ने आवधिक जाँच हेतु तीन दलों की स्थापना (मार्च 2010) की थी। हालांकि, इन दलों द्वारा समर्पित की गई जाँच प्रतिवेदन, अभिलेखों में नहीं पाया गया। आवधिक समीक्षा बैठकों अथवा कमरों का परित्याग करते समय अतिथियों द्वारा दर्ज प्रतिक्रियाओं का कमरों से मिलान करने के माध्यम द्वारा, शिकायतों की प्राप्ति व उनपर सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रणाली का अनुश्रवण नहीं किया था,
- कम्पनी के होटलों के प्रसार हेतु कम्पनी द्वारा विपणन/विज्ञापन अभियान का अभाव था 2009–14 की अवधि में विज्ञापन एवं प्रसार के मद में कम्पनी द्वारा किया गया व्यय काफी कम था और यह कुल नकद् व्यय के 0.47 प्रतिशत एवं 1.11 प्रतिशत के परास में था। अतिथ्य और सेवा प्रदत्ता होने के कारण कम्पनी का यह दायित्व था कि वह राज्य में पर्यटन के प्रसार और मजबूती प्रदान करने हेतु अपने बजट का महत्वपूर्ण आवंटन विज्ञापन और प्रसार के मद में करना था, तथा
- इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास अतिथियों की प्रतिक्रिया/शिकायत के आधार पर अपने होटलों को श्रेणीकृत करने का कोई तंत्र नहीं था। पर्यटकों को अपने होटलों की ओर आकर्षित करने हेतु यात्रा-अभिकर्ता और/अथवा यात्रा संचालकों के साथ कोई संबंध नहीं था।

<sup>10</sup> होटल सिद्धार्थ विहार, बोध गया; होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर; होटल कौटिल्या विहार, पटना एवं होटल तथागत विहार, राजगीर।

<sup>11</sup> रिसेप्शनिस्ट प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा कि (सितम्बर 2014) कम्पनी के होटलों का उपभोग मुख्य रूप से पर्यटकों के आगमन पर निर्मर करता है और कम्पनी की होटलों में ठहरने का निर्णय अतिथियों के विवेक पर होता है। जवाब विश्वसनीय नहीं है क्योंकि 2009–14 की अवधि में राज्य में पर्यटकों के आगमन में भारी वृद्धि हुई थी जैसा कि कंडिका 2.11 में पहले से वर्णित है। साथ ही, कम्पनी का जवाब कम्पनी के होटलों में व्याप्त कमियों के बारे में मौन था जो कि मुख्य रूप से कम्पनी के अधिभोग को प्रभावित करता था।

### **किराया निर्धारण**

**2.10.2** कमरों के किराया निर्धारण हेतु कम्पनी के पास कोई नीति नहीं थी। विद्यमान बाजार प्रवाह और/अथवा मौजूदा सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किराया-दर को नियमित अवधि में, समीक्षा करने का तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि दरों का निर्धारण होटल प्रबंधकों के अनुशंसाओं/प्रस्तावों पर की जाती थी, जब कभी भी कम्पनी के मुख्यालय से नई दरें समर्पित करने हेतु निदेश दिया जाता था। यद्यपि होटल प्रबंधकों की अनुशंसाएँ बजार के सर्वेक्षण पर आधारित होता था, तथापि वह बिना लागत-लाभ विश्लेषण किए हुए होता था।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) की भविष्य में दरों का निर्धारण करते समय लागत-लाभ विश्लेषण किया जाएगा।

### **खान-पान सेवाओं का कार्य-निष्पादन**

**2.11** खान-पान सेवाएँ प्रदान करने हेतु कम्पनी के पास अपने होटलों के साथ जुड़ा हुआ 13 रेस्तराँ (9 पट्टे पर) था जिसमें चार स्व-प्रबन्धित था। कम्पनी के साथ जुड़े हुए दो<sup>12</sup> स्व-प्रबन्धित खान-पान सेवाएँ/रेस्तराओं की समीक्षा में यह उद्धृत हुआ कि :

- होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर के रेस्तराँ के लाभ में ₹ 0.87 लाख से ₹ 2.29 लाख की वृद्धि 2009–13 के अवधि में पाई गई। हालांकि, कथित रेस्तराँ के लाभ में तेजी से 50 प्रतिशत की कमी पाई गई और यह वर्ष 2013–14 में ₹ 1.14 लाख हो गया;
- होटल तथागत विहार, राजगीर के रेस्तराँ का लाभ 2009–10 में ₹ 7.26 लाख से बढ़कर 2012–13 में ₹ 15.55 लाख हो गया था। तथापि, कथित रेस्तराँ के लाभ में तेजी से 24.63 प्रतिशत की गिरावट आई और यह वर्ष 2013–14 में ₹ 11.72 लाख हो गया।

कथित रेस्तराँओं के लाभ में भारी गिरावट का मुख्य कारण कम्पनी के होटलों का निम्न अधिभोग, निम्नरत्तरीय सेवा एवं आतिथ्य था जो मुख्यतः प्रशिक्षित मानव-शक्ति के अभाव, चालू व्यय (पी0ओ0एल0/खाद्य सामग्रियों) के मूल्य में वृद्धि, इत्यादि कारणों से था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि राजस्व में कमी का कारण अप्रशिक्षित कर्मचारियों का नियोजन था एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुरक्षण हेतु प्रयास, प्रक्रियाधीन था।

<sup>12</sup> रेस्तराँ लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर तथा रेस्तराँ तथागत विहार, मुजफ्फरपुर।

**अनुशंसा :** हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि पर्यटकों को गुणवत्ता सेवाएँ प्रदान करने हेतु कम्पनी को अपने होटलों के प्रबन्धन में पेशेवर रुख अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपने होटलों के दर निर्धारण हेतु कम्पनी को एक उचित दर नीति तैयार करनी चाहिए।

### परिवहन सेवाएँ

**2.12** पटना में स्थित कम्पनी की एक परिवहन इकाई है जो पर्यटकों को स्थल-भ्रमण हेतु एवं अपने नियमित ग्राहकों को भी किराए पर परिवहन सेवा प्रदान करती है। इस उद्देश्य हेतु कम्पनी अपने वाहनों को प्रदान करने के अतिरिक्त तीसरी पार्टियों से कमीशन के आधार पर वाहन, किराया पर, लेती है। कम्पनी अपना कमीशन काटने के उपरान्त विद्यमान किराया दर के आधार पर निजी संचालकों को किराया का भुगतान करती है। उसके उपरान्त कम्पनी अपने ग्राहकों को विपत्र जारी करती है। 31 मार्च 2014 को कम्पनी की बेड़ा-शवित में 11 बसें, दो कार-भान एवं 26 छोटे वाहन थे। 2009-14 की अवधि के दौरान मात्र परिवहन इकाई की आय कम्पनी की कुल आय का 23.36 प्रतिशत से 31.47 प्रतिशत था।

**2.12.1** 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के लिए परिवहन इकाई के परिचालन निष्पादन को निम्नतः दर्शाया गया है :

#### तालिका संख्या – 2.2

(राशि : ₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक आय	व्यय		कुल	लाभ / हानि	लाभ / (हानि) की प्रतिशतता
		परिचालन	हास			
2009-10	2.80	2.18	1.39	3.57	(0.77)	(27.50)
2010-11	3.61	2.49	0.84	3.33	0.28	7.76
2011-12	3.15	2.76	0.50	3.26	(0.11)	(3.49)
2012-13	3.21	2.59	0.59	3.18	0.03	0.93
2013-14	3.28	2.88	1.20	4.08	(0.80)	(24.39)

(स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कम्पनी की परिवहन इकाई की सेवाएँ 2009-14 की अवधि में संतोषजनक नहीं था। 2009-10, 2011-12 तथा 2013-14 की अवधि में परिवहन इकाई घाटे में रहा और वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 में क्रमशः मात्र ₹ 28 लाख और ₹ 32 लाख की आय अर्जित किया। परिवहन सेवाओं के निम्न निष्पादन के मुख्य कारण थे :

- 2009-10 में पटना-पूर्णियाँ मार्ग में वोल्वो बसों के नहीं चलाए जाने के मद में बेड़ा-शवित का कम उपयोग तथा दिसम्बर 2013 से वोल्वो बसों के नियमित संचालन को बन्द कर देना,
- 2013-14 में चालू किए गए चार इसुजु बसों का निम्न उपयोग किया जाना,
- नौ वर्षों के उपरान्त फरवरी 2012 में टैरिफ दरों का अनायास संशोधन तथा इनपुट लागत की वृद्धि के सापेक्ष अपने वाहनों के किराए के संदर्भ में किराए की आवधिक समीक्षा हेतु कोई तंत्र विकसित करने में कम्पनी की विफलता।

## सेवा प्राप्तकर्त्ताओं से बकाए भाड़े की वसूली नहीं होना

**2.12.2** 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में किराया के मद में सेवा प्राप्तकर्त्ताओं यथा सरकारी विभागों/संस्थाओं से लंबित किराया शुल्क की स्थिति निम्नतः दर्शायी गई है :

### तालिका संख्या – 2.3

(राशि: ₹ करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक शेष	वर्ष हेतु निर्गत विपत्र	वर्ष के दौरान विपत्र के मद में प्राप्त राशि	शेष	पिछले वर्ष के अंत शेष के सापेक्ष विविध देनदारों की वृद्धि (प्रतिशत में)
2009-10	2.76	2.29	2.39	2.66	-4
2010-11	2.66	2.24	1.48	3.42	29
2011-12	3.42	3.33	2.31	4.44	30
2012-13	4.44	3.45	3.08	4.81	8
2013-14	4.81	3.43	4.24	4.00	-17

(स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

**2012-13 में विभिन्न देनदारों की कुल राशि ₹ 4.81 करोड़ तक संचित हो गई थी।**

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि परिवहन इकाई की विविध देनदारों की राशि 2010-11 से 2012-13 की अवधि में ₹ 3.42 करोड़ से बढ़कर ₹ 4.81 करोड़ हो गई थी। कथित अवधि में देनदारों की वृद्धि आठ प्रतिशत और 30 प्रतिशत के परास में थी। तथापि, बाद में वर्ष 2013-14 में विविध देनदारों से वसूली में सुधार हुआ था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी के पास न तो कोई ऋण नीति थी और न ही अपने देनदारों को ऋण प्रदान करने हेतु कोई योजना थी। ऋण नीति के अभाव में विभिन्न विभाग/संस्था को दी गई ऋण पर कोई नियंत्रण नहीं था जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2014 तक ₹ चार करोड़ की कार्यशील पूँजी अवरुद्ध रही और उसपर अनुवर्ती ब्याज की भी हानि हुई।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि उपर्युक्त बकायों का लगभग 99 प्रतिशत सरकारी विभागों से वसूलनीय था। कम्पनी ने अग्रेतर कहा कि वह इन सरकारी विभागों/संस्थाओं को परिवहन सेवाएँ बंद करने की नीति बनाने की प्रक्रिया आरम्भ कर रही है जो लंबित बकायों के भुगतान में निरंतर चूक कर रहे हैं।

**अनुशंसा :** हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि बाह्य पार्टियों को किराए पर वाहन प्रदान करने के संदर्भ में कम्पनी को एक ऋण नीति तैयार करना चाहिए। कम्पनी को वैसी पार्टियाँ, जो लंबित बकायों के भुगतान में निरंतर चूक कर रहे हैं, को किराए पर वाहन प्रदान करना बंद कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की परिवहन इकाई को लंबित बकायों की वसूली हेतु आक्रामक रूप से अनुसरण करना चाहिए।

परिवहन इकाई की नमूना जाँच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :

### **लक्जरी बसों के क्रय पर निष्फल व्यय**

**2.12.3** पटना-बोधगया मार्ग पर पर्यटकों को नियमित बस सेवा प्रदान करने तथा ₹ 4.67 लाख प्रति माह नकद प्रवाह की संभाव्यता हेतु बुद्धिस्ट सर्किट पर यात्रा एवं भ्रमण अभिकर्त्ताओं की माँगों की पूर्ति हेतु कम्पनी ने चार लक्जरी बसों के क्रय हेतु

योजना (मार्च 2002) बनाई। कम्पनी के निदेशक मंडल ने उच्च श्रेणी के चार वातानुकूलित बसों के क्रय के प्रस्ताव का अनुमोदन (मार्च 2013) किया। तदनुसार ₹ 1.52 करोड़<sup>13</sup> की लागत पर चार एस0एम0एल0 इसुजु बसों का क्रय (जून 2013) किया गया।

**निहित उद्देश्यों से क्रय की गई नई बसों के संचालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ का निष्फल निवेश हुआ**

हमलोगों ने प्रेक्षित किया, कि यथा परिकल्पित, क्रय की गई बसों को न तो निर्धारित पटना-बोधगया मार्ग पर चलाया गया और न ही बुद्धिस्ट सर्किट पर इसके संचालन के लिए यात्रा अभिकर्ताओं के माँग की पूर्ति हेतु, उपयोग किया गया था। नौ महिनों की अवधि में चार बसें हेतु निर्धारित 3.24 लाख किमी0 के विरुद्ध कथित अवधि में ये बसें कुल 0.37 लाख किमी0 ही चलाई गई थी चूंकि ये बसें निजी पार्टियों को चार्टर आधार पर उपलब्ध कराई जा रही थी। परिकल्पित उद्देश्यों हेतु बसों के अल्प परिचालन से कम्पनी ₹1.43 करोड़<sup>14</sup> की राजस्व अर्जित करने के अवसर से छूक गया एवं ₹ 1.52 करोड़ के निवेश के उद्देश्य की भी प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि बसों के सम्पोषित संचालन हेतु अधिक विकल्पों की तलाश की जा रही है।

### कार-भान एवं डबल-डेकर बसों की क्रय पर निधि का अवरुद्ध होना

**2.12.4** कम्पनी ने ₹ 1.61 करोड़<sup>15</sup> की लागत पर तीन डबल डेकर बसों के क्रय हेतु फैब्रिकेटर को क्रयादेश (नवम्बर 2012) दिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने राज्य में पर्यटन के प्रसार हेतु ₹ 51 लाख की लागत पर दो कार-भान/लगजरी-भान का क्रय (मार्च 2013) किया। हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

- डबल-डेकर बसों की आपूर्ति मार्च 2013 तक होनी थी। कम्पनी ने फैब्रिकेटर को ₹ 74.56 लाख (नवम्बर तथा दिसम्बर 2012) का भुगतान किया। अनुबंध के अनुसार फैब्रिकेटर को चेसिस और निर्माण की कुल लागत के 70 प्रतिशत का भुगतान बसों की आपूर्ति के पूर्व करना था। हालांकि, कम्पनी ने फैब्रिकेटर को ₹ 74.56 लाख का भुगतान किया था जो कि केवल 47 प्रतिशत था। इसके फलस्वरूप कम्पनी को अभी तक (सितम्बर 2014) एक भी बस की आपूर्ति नहीं की गई थी और कथित फैब्रिकेटर को पूर्व में भुगतान की गई ₹ 74.56 लाख अवरुद्ध हो गई। इसके अतिरिक्त, फैब्रिकेटर द्वारा एस0एम0एल0 इसुजु निर्माताओं से प्राप्त चेसिस और इंजन पर वारंटी जो केवल 12 महिनों की अवधि हेतु थी, दिसम्बर 2013 में ही समाप्त हो गया था।
- प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि स्थानीय पर्यटन के विकास हेतु तीन बसों का क्रयादेश दिया गया था। हाँलांकि प्रबन्धन का जवाब उक्त बसों के अभी तक (सितम्बर 2014) सुपुर्द नहीं होने और फैब्रिकेटर पास कम्पनी की निधि अवरुद्ध होने के संबंध में मूक था।
- कार-भान का क्रय बिना किसी लागत लाभ विश्लेषण और/अथवा उनके सभाव्य उपयोगिता के आधार पर किया गया था जैसा कि उसके निम्न आरक्षण की संख्या से स्पष्ट था चूंकि जुलाई 2014 तक 16 महीनों की अवधि में केवल 14 आरक्षण हुआ था और उस मद में मात्र ₹ चार लाख की राजस्व अर्जित की गई थी। ये कार-भान अभी तक (सितम्बर 2014) कम्पनी के परिसर में निष्क्रय पड़ी हुई थी।

<sup>13</sup> प्रति बस ₹ 38 लाख की दर से चार बसें।

<sup>14</sup> छ: माह में एक बस से सभाव्य आय = ₹ 27,89,500। नौ महिनों हेतु सभाव्य आय : ₹ 27,89,500 \* 4 बसें\*9/6 महिनों – नौ महिनों में चार बसों द्वारा अर्जित वास्तविक आय (₹ 24,16,940) = ₹ 1,43,20,060.

<sup>15</sup> डबल-डेकर : ₹ 53.67 लाख \*3= ₹ 1.61 करोड़

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि कम्पनी की पर्यटकों का ध्यानाकर्षण/विहार में पर्यटन की प्रसार की दूरदर्शिता हेतु कार-भान का क्रय किया गया था। हालांकि, प्रबंधन का जवाब इन लगजरी-भानों की निम्न उपयोगिता पर मूक था।

### निजी संचालकों को अनुचित लाभ

**2.12.5** लोक निजी भागीदारी माध्यम के तहत कम्पनी ने बस सेवाओं के संचालन हेतु निविदा आमंत्रित (जुलाई 2011) की। निविदा के अन्तिमिकरण के उपरान्त कम्पनी ने सात मार्गों<sup>16</sup> पर ₹ 15000 प्रति बस प्रति माह के दर पर कम्पनी के चिन्ह पर लाईसेन्स के अन्तर्गत बसों के संचालन हेतु कार्यादेश (मई 2012) निर्गत किया।

अनुबंध करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 12.72 लाख की लाईसेन्स फीस अवसूलनीय रही

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने निजी संचालकों के साथ अनुबंध नहीं किया था और संचालक को कम्पनी के चिन्ह के अन्तर्गत बसों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की थी। संचालक मई 2012 से ही लगातार मासिक किराया देने में चूक कर रहा था। उसी दौरान कम्पनी ने यह भी पाया (अक्टूबर 2012) कि लाईसेन्सी द्वारा अनधिकृत रूप से कम्पनी की मार्गों पर अपनी बसों का परिचालन किया जा रहा था। कम्पनी ने फिर भी कार्यादेश को रद्द नहीं किया और लाईसेन्सी को अगस्त 2013 तक बसें चलाने दिया। कम्पनी ने अन्ततः सितम्बर 2013 में कार्यादेश रद्द कर दिया। सितम्बर 2013 तक निजी संचालक से ₹ 12.72 लाख की लाईसेन्स फीस वसूलनीय था जो अभी तक (नवम्बर 2014) वसूला नहीं जा सका है।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2014) कि कम्पनी ने संचालक के साथ अपने चिन्ह के उपयोग करने हेतु अनुबंध किया था और संचालक के यहाँ बकायों की वसूली प्रक्रियाधीन है। जवाब सही नहीं प्रतीत होता है क्योंकि प्रबन्धन ने अनुबंध की प्रति उपलब्ध नहीं कराई थी।

**अनुशांसा :** कम्पनी को निहित उद्देश्यों वस्तुतः स्थानीय पर्यटन के विकास के लिए अपनी वाहनों के उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लोक निजी भागीदारी माध्यम के अन्तर्गत, बसों के परिचालन हेतु, कम्पनी को प्रयत्न करना चाहिए।

### ट्रैवेल-ट्रेड एवं रज्जुमार्ग

**2.13** कम्पनी के पास मुख्यालय कार्यालय में एक ट्रैवेल-ट्रेड एवं रज्जुमार्ग स्कंध है जो व्यापार मेला, महोत्सव, टूर पैकेज के आयोजन एवं राजगीर में स्थित रज्जुमार्ग के कार्य-निष्पादन की अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं। कथित स्कंध की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः

#### कम्प्युटरीकृत टिकटिंग तंत्र के रख-रखाव पर अधिक व्यय

**2.13.1** कम्पनी ने अपने राजगीर स्थित रज्जुमार्ग के लिए कम्प्युटरीकृत टिकटिंग प्रणाली स्थापित करने का निर्णय (सितम्बर 2012) लिया। निविदा के अन्तिमिकरण के उपरान्त कथित प्रणाली को स्थापित किया गया और मई 2013 से उसका संचालन किया जाने लगा। टिकटिंग प्रणाली स्थापित करने का लागत ₹ 31.50 लाख था और संचालन एवं रख-रखाव शुल्क ₹ 2.20 लाख प्रति माह था।

<sup>16</sup> (i) पटना—वैशाली—केशरिया—कुशीनगर—पटना (ii) बोधगया—पटना—सिलीगुड़ी—जयगाँव—पटना (iii) पटना — भागलपुर — पटना (iv) पटना — रक्सील — पटना (v) पटना — वाराणसी — पटना (vi) पटना—गया—कोलकता—गया एवं (vii) कोलकता—बोधगया—पटना।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि प्रबन्धन ने कम्प्युटरीकृत टिकटिंग प्रणाली को स्थापित करने हेतु मार्गदर्शिका<sup>17</sup> के अन्तर्गत वांछित प्राक्कलन तैयार नहीं किया था। निविदा को उच्च दर पर प्रदान कर दिया था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि कथित प्रणाली की संचालन के एक वर्ष के उपरान्त पूर्व में ₹ 2.20 लाख प्रतिमाह उद्भूत दर के विरुद्ध प्रबन्धन ने संवेदक से पुनः वार्ता कर संचालन एवं रखरखाव शुल्क को घटाकर ₹ 1.20 लाख प्रतिमाह कर दिया था और इस प्रकार कम्पनी ने रख-रखाव लागत के मद में 12 लाख का अधिक भुगतान किया।

इस प्रकार, प्राक्कलन को बनाए बिना निविदा के अन्तिमिकरण के फलस्वरूप कम्पनी ने 12 लाख का अधिक व्यय किया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निविदा आमंत्रित की गई थी और उसके आधार पर एल0 – 1 बोलीदाता का चयन किया गया था। जवाब सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि निविदा का अन्तिमिकरण, बिना प्राक्कलन तैयार किए, किया गया था जिसके कारण कम्पनी सर्वोत्तम मितव्य सौदा प्राप्त नहीं कर सकी जिसकी सम्पुष्टि इस तथ्य से होती है कि प्रबन्धन को संवेदक से पुनः दर वार्ता करना पड़ा।

### **कम्पनी की अकार्यशीलता के कारण राजस्व की हानि : ₹33.96 लाख**

**2.13.2** पटना में स्थित गंगा घाट पर “गंगा महा—आरती” हेतु एक वर्ष का सीधा—प्रसारण का अधिकार प्रदान करने के लिए कम्पनी ने निविदा आमंत्रित (जुलाई 2011) किया। इसके प्रत्युत्तर में कम्पनी ने तीन दरें प्राप्त की। निविदा समिति ने सफल दर कर्ताओं को ₹ 2.83 लाख प्रति माह के लाईसेन्स शुल्क पर सीधा—प्रसारण अधिकार प्रदान करने की अनुशंसा (अक्टूबर 2011) की।

डी0टी0ओ0 के निर्देश पर कम्पनी की अकार्यशीलता के फलस्वरूप ₹ 33.96 लाख के राजस्व की हानि हुई

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने प्रसारण अधिकार देने से संबंधित विषय को पर्यटन विभाग (डी0ओ0टी0) को भेज दिया। डी0ओ0टी0 ने निर्देश दिया कि बक्सर से भागलपुर तक होने वाली गंगा महा—आरती में सभी संभाव्य घाटों को चिह्नित करें और प्रसारण से संबंधित एक समेकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु समर्पित करें। हाँलाकि, कम्पनी इस संबंध में कोई कार्रवाई करने में विफल रही। इस प्रकार डी0ओ0टी0 के निर्देश पर कम्पनी की अकार्यशीलता के फलस्वरूप पटना में स्थित गाँधी घाट पर गंगा महा—आरती के सीधा—प्रसारण के अधिकार जिसके लिए निविदा समिति ने सफल दरकर्ता की अनुशंसा की थी, के संदर्भ में ₹ 33.96<sup>18</sup> लाख के राजस्व अर्जित करने के अवसर से चूक गया।

प्रबन्धन ने समापन सम्मेलन (सितम्बर 2014) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

### **संरचनात्मक विकास परियोजनाएँ**

**2.14** कम्पनी डी0टी0ओ0 की केन्द्रीय अभिकरण होने के नाते डी0टी0ओ0 के संरचनात्मक सुविधाओं के विकास (वस्तुतः होटलों, मार्गीय सुविधाएँ, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, इत्यादि) हेतु निधि प्राप्त करती है जिससे राज्य में पर्यटन के प्रसार एवं सूचना केन्द्रों को प्रोत्साहन मिल सके। 2009–10 से 2013–14 की अवधि में, डी0टी0ओ0 में विभिन्न अभिकरणों यथा जिला अधिकारियों, पर्यटन निदेशालय, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, सी0पी0डब्ल्यू0डी0, इत्यादि को

<sup>17</sup> सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत (दिसम्बर 2011)।

<sup>18</sup> (₹ 2.83 लाख\*12 महीनों)

राज्य में पर्यटन के संरचनात्मक विकास हेतु ₹ 273.10 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। हाँलाकि कम्पनी द्वारा परियोजनाओं के निम्न निष्पादन के आधार पर डी०टी०ओ० ने कम्पनी को राज्य में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु कुल स्वीकृत राशि का केवल 35.23 प्रतिशत ( ₹ 96.21 करोड़ ) ही स्वीकृत किया।

कम्पनी ने ₹ 96.21 करोड़ की स्वीकृत निधि के विरुद्ध 83 परियोजनाओं के निर्माण/नवीकरण/विकास हेतु ₹ 78.72 करोड़ की राशि प्राप्त की।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

83 परियोजनाओं में से केवल 23 परियोजनाएँ ही पूर्ण की जा सकी जिसमें 12 परियोजनाएँ एक से 32 महीने के विलम्ब से पूर्ण किया गया था

- 83 परियोजनाओं के विरुद्ध, केवल 23 परियोजनाएँ, जिसकी कुल लागत ₹15.48 करोड़ थी, ही पूर्ण की गई थी और इसमें से 12 परियोजनाएँ जिनकी लागत ₹ 6.46 करोड़ थी, एक से 32 महीनों के परास में विलम्ब से पूर्ण हुई थी;
- 17 परियोजनाएँ जिनकी लागत ₹ 8.41 करोड़ थी, उनका कार्य, निधि प्राप्ति के 11 से 59 महीने व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी स्थल की अनुपलब्धता, रूप-रेखा में संशोधन तथा निविदा के रद्द हो जाने इत्यादि कारणों से आरम्भ नहीं हो सका था;
- 43 परियोजनाएँ, जिनकी लागत ₹ 54.83 करोड़ थी, का कार्य, निर्माण के विभिन्न चरणों में था। हाँलाकि, इन परियोजनाओं का निष्पादन प्रगति बहुत ही धीमा था।
- संरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब का मुख्य कारण अनियोजित निष्पादन वस्तुतः बिना वास्तविक स्थल निरीक्षण किए प्राककलन तैयार करना, प्राककलन में महत्वपूर्ण मद को शामिल नहीं करना, निम्न अनुश्रवण, डी०टी०ओ० एवं अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय की कमी और कम्पनी के अभियंत्रण स्कंध में अभियंताओं का अभाव था। 2009–10 से 2012–13 की अवधि में उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं पर प्राप्त निधि की उपयोगिता मात्र 37.69 प्रतिशत थी।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (सितम्बर 2014) किया।

- कम्पनी ने अनुबंध के जोखिम एवं लागत उपवाक्य के प्रावधानों के विरुद्ध दो परियोजनाओं वस्तुतः होटल कर्ण विहार, मुंगेर एवं सम्मेलन कक्ष, बक्सर जिसे संवेदक की चूक के कारण निरस्त कर दिया गया था, के मद में ₹ 32.84<sup>19</sup> लाख का किया गया अधिव्यय, चूककर्ता संवेदकों से वसूलने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (सितम्बर 2014) किया।

**2.14.1 लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में निम्नलिखित पाँच प्रमुख अपूर्ण परियोजनाएँ जिनकी लागत ₹11.40 करोड़ थी उद्घाटित हुई, जिसे अपनी निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण हो जाना था। तथापि, ये परियोजनाएँ अत्यधिक विलम्ब में थी और ये अभी तक (नवम्बर 2014) अपूर्ण थे।**

**होटल जानकी विहार, सीतामढ़ी :** कम्पनी ने होटल जानकी विहार, सीतामढ़ी के पुनर्निर्माण का कार्य मई 2011 में लिया था। परियोजना में होटल के सम्पूर्ण ढाँचा को तोड़ना और नई भवन के निर्माण करने के साथ-साथ मिट्टी भराई द्वारा स्थल विकास, पहुँच पथ का निर्माण सहित शामिल था। इस उद्देश्य हेतु डी०ओ०टी० ने, मई 2010 और जनवरी 2013 में दो किस्तों में कम्पनी को ₹ 1.84 करोड़ उपलब्ध कराया था। अनुबंध के अनुसार पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मई 2012 थी। तथापि, धीमी प्रगति के कारण कथित परियोजना अभी तक (नवम्बर 2014) अपूर्ण था।

<sup>19</sup> ₹ 45.36 लाख – ₹ 12.52 लाख (कटौती) = ₹ 32.84 लाख।

**होटल बुद्ध विहार, बोधगया में कमरों का निर्माण :** डी0टीओ० ने, होटल बुद्ध विहार को, सितारा होटल में उन्नयन हेतु, अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए ₹ 6.21 करोड़ की राशि स्वीकृत (2006–07) किया। स्वीकृत राशि में से कम्पनी ने मार्च 2013 तक ₹ 3 करोड़ की राशि प्राप्त की। अनुबंध के अनुसार कथित कार्य दिसम्बर 2013 पूर्ण होना था। तथापि, आरेखन की पुनर्रोक्षण के कारण कथित परियोजना अभी तक (नवम्बर 2014) पूर्ण होना शेष था।

**मुण्डेश्वरी मन्दिर, कैमूर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास :** परियोजना में, जिसकी लागत ₹ 3.47 करोड़ थी, पर्यटन सूचना केन्द्र, कैफेटेरिया का निर्माण और मुण्डेश्वरी मन्दिर के समीप अन्य सुविधाओं का विकास शामिल था। परियोजना जुलाई 2011 तक 30 महीनों में पूर्ण की जानी थी। हाँलाकि, परियोजना के स्थल में परिवर्तन के कारण, परियोजना 41 महीने से विलंबित हो गया।

**वीरपुर, सुपौल में मार्गीय सुविधा :** इसमें पर्यटकों को, मार्च 2012 को समाप्त हुए 18 महीनों में ₹1.60 करोड़ की लागत पर मार्गीय सुविधा उपलब्ध कराना था। तदनुसार दिसम्बर 2009 में, कम्पनी को निधि उपलब्ध कराई गई। हालांकि दिसम्बर 2009 की निविदा के विरुद्ध, सितम्बर 2010 में ही कार्य प्रदान किया गया। इस प्रकार निविदा के अन्तिमिकरण और कार्य प्रदान करने में विलम्ब हुआ। मार्गीय सुविधाओं का निर्माण अभी तक (नवम्बर 2014) अपूर्ण था।

**टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया में तरणताल :** बोधगया आनेवाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, डी0टीओ० ने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया में तरणताल के निर्माण हेतु ₹1.49 करोड़ की राशि स्वीकृत (2008–09) किया। परियोजना के अन्तर्गत कपड़े बदलने हेतु कमरा एवं बाउन्झी सहित एक तरणताल का निर्माण करना था। कम्पनी ने मार्च 2010 में संवेदक को कार्यादेश प्रदान किया। अनुबंध के अनुसार कार्य जून 2011 तक पूर्ण करना था। तथापि, कार्य की धीमी प्रगति के कारण परियोजना का निर्माण अभी तक (नवम्बर 2014) अपूर्ण था।

उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के कारण कम्पनी पर्यटकीय सुविधाओं की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित कराने में विफल रहा।

**अनुशंसा :** हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को, प्रक्रियात्मक विलम्ब को ठालने एवं निविदा के अन्तिमिकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के द्वारा, संरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में सुधार लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

### **मायासरोवर का अनुरक्षण/रख-रखाव नहीं होना**

**2.14.2 मायासरोवर, पर्यटक आकर्षन का एक केन्द्र है, जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया में स्थित है और उसमें तालाब, खुली हवा में थियेटर, उद्यान और पार्क है तथा इसका विकास केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केऽलो०नि०वि०) द्वारा किया गया था। इस परियोजना के विकास पर ₹ 1.50 करोड़ की राशि व्यय की गई थी जिसमें तालाब, खुली हवा में थियेटर, उद्यान और पार्क शामिल था। राज्य सरकार की केन्द्रीय अभिकरण होने के कारण, कोई भी सम्पत्ति जो कि विभाग द्वारा बनाया जाता है, उसे कम्पनी को अग्रेतर रख-रखाव और संचालन हेतु सौंप दिया जाता है। तदनुसार, मायासरोवर, कम्पनी को सौंप (मई 2007) दिया गया था।**

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी ने, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मायासरोवर में पैडल बोटों का संचालन ₹ 1.55 लाख प्रति वर्ष जिसमें 10, 20, 30, 40 प्रतिशत प्रति वर्ष पाँच वर्षों तक वृद्धि होनी थी, को पट्टे (सितम्बर 2009) पर दे दिया था। तथापि, पैडल बोटों का संचालन लेस्सी (पट्टेदार) द्वारा बन्द (जनवरी 2013) कर दिया था;
- मायासरोवर का, प्रबन्धकीय दल के साथ की गई संयुक्त जाँच से यह उद्घाटित हुआ कि उपर्युक्त सम्पत्ति का रख—रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था और यह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। तालाब में पानी का स्तर बहुत नीचे था और दुर्गम्ययुक्त था तथा धोबी के द्वारा कपड़ों की धुलाई के लिए प्रयोग हो रहा था। खुली हवा की थियेटर में नियमित रूप से घास की कटाई नहीं की जा रही थी और यह लम्बी घासों से भरा पड़ा था;
- मायासरोवर का रख—रखाव नहीं होने के कारण कम्पनी इस स्थिति में नहीं था कि वह पैडल बोटों को पट्टे पर देने हेतु नई निविदा जारी कर सके जिसके फलस्वरूप कम्पनी को प्रतिवर्ष ₹ 2 दो लाख के राजस्व की हानि हो रही थी। इसके अतिरिक्त ₹ 1.70 लाख की लागत पर क्रय की गई पैडल बोटों, लम्बी अवधि तक उपयोग नहीं होने के कारण, अनुपयोगी हो गया।

रख—रखाव और  
अनुश्रवण के अभाव में  
₹1.50 करोड़ का व्यय  
निष्फल हो गया

इस प्रकार अपनी मूल सम्पत्ति की रख—रखाव एवं संधारण में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप इसके विकास पर ₹ 1.50 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त, पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र के रूप में, मायासरोवर के विकास का निहित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सका।

प्रबन्धन ने समापन सम्मेलन में तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2014) किया।

**अनुशंसा :** हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को अपनी सम्पत्तियों के समुचित संधारण हेतु सही प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

### आन्तरिक नियंत्रण

#### आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

**2.15** आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रबन्धन का एक साधन है, जिसके प्रयोग से यथोचित आश्वासन प्राप्त होता है कि प्रबन्धन के उद्देश्यों की प्राप्ति कुशलतापूर्वक, दक्षतापूर्वक एवं श्रेणीबद्ध तरीके से की जा रही थी। कम्पनी, जो सेवानुसुखी क्षेत्र से संबंधित है, के लिए संचालन हेतु, सेवा मानकों एवं लक्ष्यों हेतु लिखित मानदण्डों का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्थापित मानकों/मानदण्डों के विरुद्ध कम्पनी की कार्य—निष्पादन को प्रतिवेदित करने हेतु एक समुचित प्रबन्धन सूचना प्रणाली होना चाहिए। संस्था में विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली से उद्घाटित हुआ कि :

- कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का औसत कार्यकाल निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में केवल एक वर्ष का था जिसके कारण, स्पष्ट रूप से परिभाषित प्राप्त लक्ष्य एवं उद्देश्य सहित कोई दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना, तैयार नहीं किया जा सका;
- इकाईयों की प्रगति की समीक्षा हेतु नियमित अन्तराल पर मासिक बैठकें आहूत नहीं की जा रहीं थीं क्योंकि वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में क्रमशः केवल सात, छ: एवं तीन बैठकें आहूत की गई थीं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013–14 में मात्र तीन बैठकें आहूत की गई थीं। यह शीर्ष प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अभाव को इंगित करता था।

- कम्पनी की परिसम्पत्तियों के आवधिक भौतिक सत्यापन हेतु कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं था।

### निष्कर्ष

- कम्पनी, दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना/रोडमैप जिमें आगामी वर्षों में प्राप्य लक्ष्यों अथवा मील के पत्थरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, के निर्माण में विफल रहा जिसके फलस्वरूप राज्य पर्यटन नीति के पाँच वर्षों तक लागू रहने के बावजूद राज्य की पर्यटकीय संभाव्यता अप्रयुक्त रह गया।
- कम्पनी के वित्त एवं लेखा स्कंध का कार्य—निष्पादन सुव्यवस्थित नहीं था चूंकि बैंक शेषों के समाशोधन नहीं करने के कारण हानि, परियोजना—वार बैंक का संधारण नहीं होना, आरओसी० के पास वार्षिक रिट्टन दायर नहीं करना इत्यादि के कई मामले थे।
- मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मुख्य सम्पत्तियों का रख—रखाव नहीं होना, मानव—शक्ति का अभाव एवं उत्तम सेवाओं प्रदान करने हेतु गैर—पेशेवर तरीके को अपनाने के फलस्वरूप कम्पनी की होटलों से पर्यटकों का अलगाव हुआ था।
- कम्पनी ने अपनी नई बेड़ों का उपयोग परिकल्पित उद्देश्यों हेतु नहीं किया जिसके फलस्वरूप निधि अवरुद्ध पड़ा रहा।
- निकृष्ट नियोजन, संरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यचयन में पर्याप्त अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अभाव के फलस्वरूप अत्यधिक विलम्ब एवं पर्यटकीय सुविधाओं की अनुलपब्धता में फलित हुआ।